CABLE TV REGULATORY OVERVIEW & UPDATE

An overview of some of the regulatory policies which will clear the bottlenecks affecting the CATV industry.

TELEVISION AND BROADCASTING (TELECOM)

I. DECRIMINALIZATION OF CABLE TV ACT

The Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995 ("Cable TV Act") has been decriminalized and all provisions in the Cable TV Act which previously prescribed imprisonment as a penalty have been replaced with monetary penalties and other nonmonetary measures. The decriminalization was enacted through the passage of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2023 in October 2023. This is in line with the general approach of the Government and Courts towards rationalization of various criminal provisions.

Earlier, contraventions of the Cable TV Act were punishable with imprisonment for a term which may extend to two years, for the first offence, and five years, for every subsequent offence. Post the amendment, contraventions are punishable only with advisory, censures, or warning, or a penalty which may extend to twenty thousand rupees, for a first contravention, and one lakh rupees, for subsequent contraventions within a period of three years. However, in case of more than three contraventions within three years, the designated officer under the Cable TV Act is empowered to issue orders suspending or revoking the registration of a cable operator. This discourages habitual or repeated contraventions. Appeals from the orders of the

केबल टीवी विनियामक का अवलोकन और अपडेट

कुछ नियामक नीतियों का अवलोकन जो सीएटीवी उद्योग को प्रभावित करने वाली बाधाओं को दूर करेगा।

टेलीविजन और प्रसारण (दूरसंचार)

1. केबल टेलीविजन अधिनियम को अपराधमुक्त करना

केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 (केबल टीवी अधिनियम) को अपराधमुक्त कर दिया गया है और केबल टीवी अधिनियम के सभी प्रावधान, जो कि पहले दंड के रूप में कारावास निर्धारित करते थे, को मौद्रिक दंड और अन्य गैर मौद्रिक उपायों में बदल दिया गया है। अक्टूबर 2023 में जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम 2023 के पारित होने के माध्यम से गैर-अपराधीकरण को अधिनियमित किया गया था। यह विभिन्न आपराधिक प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाने की दिशा में सरकार और न्यायालयों के सामान्य दृष्टिकोण के अनुरूप है।

इससे पहले केबल टीवी अधिनियम के उल्लंघन पर पहले अपराध के लिए दो साल तक कैद और उसके बाद के प्रत्येक अपराध के लिए पांच साल तक की कैद की सजा का प्रावधान था। संशोधन के बाद, उल्लंघनों पर केवल सलाह, निंदा या चेतावनी या जुर्माना लगाया जा सकता है, जो पहले उल्लंघन के लिए बीस हजार रुपये और तीन साल की अवधि के भीतर बाद के उल्लंघनों के लिए एक लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। हालांकि तीन साल के भीतर तीन उल्लंघनों के मामले में, केबल टीवी अधिनियम के तहत नामित अधिकारी को केबल ऑपरेटरों के पंजीकरण को निलंबित करने या रद्द करने का आदेश जारी करने का अधिकार है। यह आदतन या बार-बार या बार-बार होने वाले उल्लंघनों को हतोत्साहित करता है। नामित अधिकारी के आदेशों की अपील तीस दिनों

designated officer may be made within thirty days to the Secretary to the Government of India, or their authorized officers.

The move has been made with the aim of making the Cable TV Act more business-friendly and to boost investor confidence in the sector. The amendments were undertaken to encourage compliance with the Cable TV Act without resorting to harsh punishments for minor/ unintended contraventions, providing more flexibility and proportionality based on the nature of the contravention.

II. THE INDIAN TELECOMMUNICATIONS ACT, 2023

The Indian Telecommunications Act, 2023 ("Telecom Act") was enacted on 24 December 2023. Once brought into force, it is set to replace the Indian Telegraph Act, 1885, the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 and the Telegraph Wires (Unlawful Possession) Act, 195018. Key highlights of the Telecom Act are set out below:

- **Scope of the Telecom Act:**
  The Telecom Act regulates the development, expansion and operation of telecommunication services and telecommunication networks, assignment of spectrum and related matters. The definition of "telecommunication services" under the Telecom Act is wide, leading to uncertainty on whether a broad range of information technology and digital services can be brought within its ambit. However, the Department of Telecom has explicitly clarified that OTT service providers will not be regulated under the Telecom Act19. This provides some certainty on the unbundling of carriage and content regulation.
- **Authorization framework:**
  The Telecom Act replaces the existing licensing model with a simpler authorization regime for persons who intend to:
  (a) provide telecommunication services;
  (b) establish, operate, maintain or expand telecommunication network; or
  (c) possess radio equipment.
- **Government's powers, public safety, public emergency:**
  The Telecom Act confers powers on the government

के भीतर भारत सरकार के सचिव या उनके अधिकृत अधिकारियों को की जा सकती है।

यह कदम केबल टीवी अधिनियम को और अधिक व्यवसाय अनुकूल बनाने और क्षेत्र में निवेशकों का विश्वास बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है। छोटे/अनपेक्षित उल्लंघनों के लिए कठोर दंड का सहारा लिए बिना, उल्लंघन की प्रकृति के आधार पर अधिक लचीलापन और आनुपातिकता प्रदान करने के लिए केबल टीवी अधिनियम के अनुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए संशोधन किया गये थे।

2. भारतीय दूरसंचार अधिनियम, 2023

भारतीय दूरसंचार अधिनियम 2023 (दूरसंचार अधिनियम) 24 दिसंबर 2023 को अधिनियमित किया गया था। एक बार लागू होने के बाद यह भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885, भारतीय वायरलेस टेलीग्राफ अधिनियम 1993 और टेलीग्राफ वायर (गैर कानूनी कब्जा) 1950 को प्रतिस्थापित करने के लिए तैयार है। दूरसंचार अधिनियम की मुख्य विशेषतायें नीचे दी गयी हैंः

- **दूरसंचार अधिनियम का दायराः**
  दूरसंचार अधिनियम दूरसंचार सेवाओं और दूरसंचार नेटवर्क के विकास, विस्तार और संचालन, स्पेक्ट्रम के आवंटन और संबंधित मामलों को नियंत्रित करता है। 'दूरसंचार सेवाओं' की परिभाषा के अंतर्ग त दूरसंचार अधिनियम व्यापक है, जिससे इस बात पर अनिश्चितता बनी हुई है कि क्या सूचना तकनीकी और डिजिटल सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला को इसके दायरे में लाया जा सकता है। हालांकि दूरसंचार विभाग ने स्पष्ट रूप से सफाई दी है कि ओटीटी सेवा प्रदाताओं को दूरसंचार अधिनियम के तहत विनियमित नहीं किया जायेगा। यह कैरिज और सामग्री विनियमन की अनबंडलिंग पर कुछ निश्चितता प्रदान करता है।
- **प्राधिकरण ढांचाः**
  दूरसंचार अधिनियम मौजूदा लाइसेंसिंग मॉडल को उन व्यक्तियों के लिए एक सरल प्राधिकरण व्यवस्था में बदल देता है जो निम्नलिखित का इरादा रखते हैंः
  (ए) दूरसंचार सेवायें प्रदान करना
  (बी) दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना, संचालन, रखरखाव या विस्तार करना या
  (सी) रेडियो उपकरण रखें।
- **सरकार की शक्तियां, सार्वजनिक सुरक्षा, सार्वजनिक आपतकालः**
  दूरसंचार अधिनियम, सरकार या किसी अधिकृत सरकारी एजेंसी

or any authorized government agency to direct the disclosure of any messages or class of messages in intelligible format, that concern a public emergency or public safety. Message is defined to mean any sign, signal, writing, text, image, sound, video, data stream, intelligence or information sent through telecommunication. The Telecom Act also provides for a wide range of powers to the government in relation to priority call routing, prescription of standards for national security, etc.

- **Other provisions:**
  Further, the Telecom Act prescribes those users of a telecommunication network be identified through verifiable biometric based identification' methods. Security measures in relation to storage of such biometric data are yet to be prescribed under the rules to be framed under the Telecom Act. The Central Government is also empowered to make rules on (1) the collection, analysis and dissemination of traffic data that's stored in telecommunication networks, and (2) encryption and data processing in telecommunication.
- The Telecom Act contains new provisions on the powers of the Central Government to notify standards in respect of telecom services, manufacturing, and the import of equipment, and cybersecurity for telecommunication services and networks, and a tiered dispute resolution mechanism.
- The Telecom Act also provides for a dual method of allocation of spectrum, i.e., through auctions and through administrative allocation. This is in line with global best practices and enables equitable distribution of satellite spectrum. It further requires all authorized entities to establish an online mechanism for grievance redressal of users. Lastly, the Telecom Act explicitly provides for extraterritorial application unlike the previous regime.

III. BROADCASTING BILL

The Ministry of Information and Broadcasting ("MIB") had issued a draft of the Broadcasting Services (Regulation) Bill, 2023 ("Broadcasting Bill") on 10 November 2023. The Broadcasting Bill seeks to consolidate and amend the existing broadcasting laws and replace the existing Cable TV Act and the various policy guidelines currently governing the broadcasting sector in India.

को किसी भी संदेश या संदेशों के वर्ग को सुगम प्रारूप में प्रकट करने का निर्देश देने की शक्ति प्रदान करता है, जो सार्वजनिक आपतकाल या सार्वजनिक सुरक्षा से संबंधित है। संदेश को दूरसंचार के माध्यम से भेजे गये किसी भी सिगनल, संकेत, लेखन, पाठ, छवि, ध्वनि, वीडियो, डेटा स्ट्रीम, खुफिया या जानकारी के रूप में परिभाषित किया गया है। दूरसंचार अधिनियम प्राथमिकता कॉल रूटिंग, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए मानकों के निर्धारण आदि के संबंध में सरकार को व्यापक शक्तियां प्रदान करता है।

- **अन्य प्रावधानः**
  इसके अलावा, दूरसंचार अधिनियम यह निर्धारित करता है कि दूरसंचार नेटवर्क के उन उपयोगकर्ताओं की पहचान सत्यापन योग्य बायेमेट्रिक आधारित पहचान पद्धतियों के माध्यम से की जाए। ऐसे बायोमेट्रिक डेटा के भंडारण के संबंध में सुरक्षा उपायों को दूरसंचार अधिनियम के तहत बनाये जाने वाले नियमों के तहत निर्धारित किया जाना बाकी है। केंद्र सरकार को (1) दूरसंचार नेटवर्क में संग्रहित ट्रैफिक डेटा के संग्रह, विश्लेषण और प्रसार और (2) दूरसंचार में एन्क्रिप्शन और डेटा प्रोसेसिंग पर नियम बनाने का भी अधिकार है।
- दूरसंचार अधिनियम में दूरसंचार सेवाओं, विनिर्माण और उपकरणों के आयात और दूरसंचार सेवाओं और नेटवर्क के लिए साइबर सुरक्षा और एक स्तरीय विवाद समाधान तंत्र के संबंध में मानकों को अधिसूचित करने के लिए केंद्र सरकार की शक्तियों पर नये प्रावधान शामिल हैं।
- दूरसंचार अधिनियम स्पेक्ट्रम के आवंटन की दोहरी पद्धति का भी प्रावधान करता है यानी नीलामी के माध्यम से और प्रशासनिक आवंटन के माध्यम से। यह वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप है और सैटेलाइट स्पेक्ट्रम के समान वितरण को सक्षम बनाता है। इसमें सभी अधिकृत संस्थाओं को उपयोगकर्ताओं की शिकायत निवारण के लिए एक ऑनलाइन तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है। अंत में दूरसंचार अधिनियम पिछली व्यवस्था के विपरीत स्पष्ट रूप से बाह्य क्षेत्रिय आवेदनों का प्रावधान करता है।

3. प्रसारण विधेयक

सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) ने 10 नवंबर 2023 को प्रसारण सेवा (विनियमन) विधेयक, 2023 (प्रसारण विधेयक) का मसौदा जारी किया था। प्रसारण विधेयक मौजूदा प्रसारण कानूनों को समेकित और संशोधन करने और मौजूदा केवल टीवी अधिनियम और वर्तमान में भारत में प्रसारण क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले विभिन्न नीति दिशा निर्देशों को बदलने का प्रयास करता है।

Key highlights of the Broadcasting Bill:

- **Inclusion of OTT services:**
  The Broadcasting Bill notably includes Over-the-top (OTT) broadcasting services within its ambit, however there are certain definitional inconsistencies in this regard, however, clarifies that OTT Broadcasting Services will not include a social media intermediary, or a user of such intermediary, and that the person responsible for ensuring compliance with all requirements will be the operator of the streaming content and not the network operator or the internet service provider. The Broadcasting Bill has however faced severe pushback from industry associations for the inclusion of OTT, given its difference from traditional broadcasting and the existing regulation of OTT players under the IT Rules.

- **News and current affairs programs:**
  The Broadcasting Bill also seeks to regulate persons broadcasting news and current affairs programs online, requiring them to adhere to the Program Code and Advertisement Code, establish a Content Evaluation Committee, and other provisions of the Broadcasting Bill.

- **Statutory Penalties and Fines:**
  The Broadcasting Bill retains statutory penalties such as advisory, warning, censure, and monetary penalties (linked to the financial capacity of the entity, taking into account their investment and turnover) for operators and broadcasters. Provision for imprisonment and/or fines remains only for very serious offenses such as operating without registration or expired registration, misrepresentation, etc.

- **Accessibility for Persons with Disabilities:**
  The Broadcasting Bill provides enabling provisions for the issue of comprehensive accessibility guidelines.
  The Broadcasting Bill contains several open-ended provisions in relation to the powers of the Central Government, including regulating services intricately linked to broadcasting services.

प्रसारण विधेयक की मुख्य बातेंः

- **ओटीटी सेवाओं को शामिल करनाः**
  प्रसारण विधेयक में विशेष रूप से ओवर–द–टॉप (ओटीटी) प्रसारण सेवाओं को इसके दायरे में शामिल किया गया है, हालांकि इस संबंध में कुछ निश्चित विसंगतियां हैं, हालांकि यह स्पष्ट किया गया है कि ओटीटी प्रसारण में सोशल मीडिया मध्यस्थ शामिल नहीं होगा और सभी आवश्यकताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति स्ट्रीमिंग सेवा का ऑपरेटर होगा, न कि नेटवर्क ऑपरेटर या इंटरनेट सेवा प्रदाता। हालांकि प्रसारण विधेयक को पारंपरिक प्रसारण और आईटी नियमों के तहत ओटीटी खिलाड़ियों के मौजूदा विनियमन से अलग होने के कारण ओटीटी को शामिल करने के लिए उद्योग संघों से गंभीर विरोध का सामना करना पड़ा है।

- **समाचार और समसामयिक मामलों के कार्यक्रमः**
  प्रसारण विधेयक समाचार और समसामयिक मामलों के कार्यक्रमों को ऑनलाइन प्रसारित करने वाले व्यक्तियों को विनियमित करने का प्रयास करता है, जिससे उन्हें कार्यक्रम कोड और विज्ञापन कोड का पालन करने, एक सामग्री मूल्यांकन समिति स्थापित करने और प्रसारण विधेयक के अन्य प्रावधानों की आवश्यकता होती है।

- **वैधानिक दंड और जुर्मानाः**
  प्रसारण विधेयक ऑपरेटरों और प्रसारकों के लिए सलाह, चेतावनी, निंदा और मौद्रिक दंड (इकाई की वित्तीय क्षमता से जुड़ा हुआ, उनके निवेश और कारोबार को ध्यान में रखते हुए) जैसे वैधानिक दंड को बरकरार रखता है। कारावास और/या जुर्माने का प्रावधान केवल बहुत गंभीर अपराधों जैसे पंजीकरण के बिना संचालन या समाप्त पंजीकरण, गलत बयानी आदि के लिए ही रहता है।

- **विकलांग व्यक्तियों के लिए पहुंचः**
  प्रसारण विधेयक व्यापक पहुंच दिशानिर्देशों के मुद्दे के लिए सक्षम प्रावधान प्रदान करता है।
  प्रसारण विधेयक में केंद्र सरकार की शक्तियों के संबंध में कई खुले प्रावधान शामिल हैं, जिसमें प्रसारण सेवाओं से जटिल रूप से जुड़ी सेवाओं को विनियमित करना शामिल है।

IV. CIGARETTES AND OTHER TOBACCO PRODUCTS (PROHIBITION OF ADVERTISEMENT AND REGULATION OF TRADE AND COMMERCE, PRODUCTION, SUPPLY AND DISTRIBUTION) AMENDMENT RULES, 2023

In May 2023, the Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Rules, 2004 ("2004 Tobacco Rules") were amended to include provisions requiring publishers of "online curated content" to insert relevant disclaimers and warnings regarding tobacco products.

The amendments were brought in by way of the Cigarettes and other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Amendment Rules, 2023 ("Tobacco Amendment Rules") and have been effective 1 September 2023.

The key amendment brought forth to the 2004 Tobacco Rules is through Rule 11 introduced by Tobacco Amendment Rules. Essentially, new requirements have been introduced for the publishers27 of online curated content that displays tobacco products or their use.

The requirements include:

- Display anti-tobacco health spots of at least thirty seconds duration at the beginning and middle of the program.
- Display a prominent static anti-tobacco health warning message at the bottom of the screen while showing tobacco products or their use in the program.
- Show an audio-visual disclaimer on the ill effects of tobacco use for at least twenty seconds at the beginning and middle of the program Further, the Tobacco Amendment Rules prohibit the display of brands of cigarettes or other tobacco products or any form of tobacco product placement in online curated content; and display of tobacco products or their use in promotional material created for promotion online curated content.

In addition to the requirements discussed above, the language used for warnings should be same as that in the online curated content. Lastly, anti-tobacco health

4. सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन पर प्रतिबंध और व्यापार और वाणिज्यि, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) संशोधन नियम 2023

मई 2023 में, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का निषेध और व्यापार और वाणिज्यि, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) नियम, 2004 (2004 तंबाकू नियम) में संशोधन किया गया ताकि तंबाकू उत्पादों के संबंध में प्रासंगिक अस्वीकरण और चेतावनियों को शामिल करने के लिए 'ऑनलाइन क्यूरेटेड सामग्री' के प्रकाशकों की आवश्यकता वाले प्रावधानों को शामिल किया जा सके।

ये संशोधन सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों (विज्ञापन का निषेध व्यापार और वाणिज्यि, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) संशोधन नियम, 2023 (तंबाकू संशोधन नियम) के माध्यम से लाये गये थे और 1 सितंबर 2023 से प्रभावी हैं।

2004 के तंबाकू नियमों में लाया गया मुख्य संशोधन तंबाकू संशोधन नियमों द्वारा प्रस्तुत नियम 11 के माध्यम से है। अनिवार्य रूप से तंबाकू उत्पादों या उनके उपयोग को प्रदर्शित करने वाली ऑनलाइन क्यूरेटेड सामग्री के प्रकाशकों के लिए नयी आवश्यकतायें पेश की गयी हैं।

आवश्यकताओं में शामिल हैः

- कार्यक्रम की शुरूआत और मध्य में कम से कम तीस सेकेंड की अवधि के तंबाकू विरोधी स्वास्थ्य स्पॉट प्रदर्शित करें।
- कार्यक्रमों में तंबाकू उत्पादों या उनके उपयोग को दिखाते समय स्क्रीन के नीचे एक प्रमुख स्थिर तंबाकू विरोधी स्वास्थ्य चेतावनी संदेश प्रदर्शित करें।
- कार्यक्रमों की शुरूआत और मध्य में कम से कम 20 सेकेंड के लिए तंबाकू के उपयोग के दुष्प्रभावों पर एक ऑडियो-वीडियो अस्वीकरण दिखायें। इसके अलावा तंबाकू संशोधन नियम सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पादों या किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पाद के ब्रांडों के प्रदर्शन पर रोक लगाते हैं। ऑनलाइन क्यूरेटेड सामग्री में प्लेसमेंट और तंबाकू उत्पादों का प्रदर्शन या ऑनलाइन क्यूरेटेड सामग्री को बढ़ावा देने के लिए बनायी गयी प्रचार सामग्री में उनका उपयोग।

ऊपर चर्चा की गयी आवश्यकताओं के अलावा चेतावनियों के लिए उपयोग की जाने वाली भाषा वही होनी चाहिए जो ऑनलाइन क्यूरेटेड

warning message displayed should be legible and readable, with black font on a white background, and the warnings “Tobacco causes cancer” or “Tobacco kills” must be included.

Reports show that compliance of the television industry with the requirements under the 2004 Tobacco Rules have been low. In fact, various aspects of the 2004 Tobacco Rules are currently under challenge before the Bombay High Court and the Supreme Court.

Some of the above amendments were not found to be practical in the context of online curated content publishers and hence there has been pushback by the online curated content publishers as well.

V. TDSAT HOLDS THAT OTT PLATFORMS DO NOT FALL UNDER THE PURVIEW OF TRAI

In October 2023, the Telecom Disputes Settlement & Appellate Tribunal (“TDSAT”)32 in the case of All India Digital Cable Federation vs. Star India Pvt Ltd assessed the jurisdiction of the Telecom Regulatory Authority of India (“TRAI”), and therefore the applicability of TRAI rules and regulations on over the top (“OTT”) broadcasting platforms. In the matter, the petitioner claimed that Star India violates Regulation 3(2) of the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Interconnection (Addressable Systems) Regulation, 2017, which requires broadcasters to provide signals of the television channels to the distributors in a nondiscriminatory manner. The petitioners raised this issue as Star India provided content on their Star Sports television channel through payment of charges. On the other hand, on Hotstar, viewers were able to access Star Sports content for free. The petitioners further claimed that the respondents should offer viewership of content on both platforms in the same manner.

TDSAT observed that in the present case, the respondent “wears two hats,” implying that Star India is a broadcaster and an owner of the OTT platform. It was held that the definition of “distribution platform” is exhaustive and does not cover OTT platforms under its ambit. Lastly, the TDSAT held that prima facie, OTT platforms are not covered by the jurisdiction of TRAI, and therefore the TRAI Act, rules and regulations thereunder.■

सामग्री में होती है। अंत में प्रदर्शित तंबाकू विरोधी स्वास्थ्य चेतावनी संदेश सुपाठ्य और पठनीय होना चाहिए, सफेद पृष्ठभूमि पर काले फॉन्ट के साथ और चेतावनी ‘तंबाकू से कैंसर होता है’ या ‘तंबाकू से मौतें होती हैं’ को शामिल किया जाना चाहिए।

रिपोर्टों से पता चलता है कि 200 के तंबाकू नियमों के तहत आवश्यकताओं के साथ टेलीविजन उद्योग का अनुपालन कम रहा है। दरअसल 2004 के तंबाकू नियमों के विभिन्न पहलुओं को फिलहाल बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा रही है।

उपरोक्त कुछ संशोधनों को ऑनलाइन क्यूरेटेड सामग्री प्रकाशकों के संदर्भ में व्यावहारिक नहीं पाया गया और इसलिए ऑनलाइन क्यूरेटेड सामग्री प्रकाशकों द्वारा भी इसका विरोध किया गया है।

5. टीडीसैट का मानना है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म, ट्राई के दायरे में नहीं आते हैं

अक्टूबर 2023 में टेलीकॉम विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण (टीडीसैट) ने ऑल इंडिया डिजिटल केबल फेडरेशन बनाम स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मामले में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के अधिकार क्षेत्र का आकलन किया और इसलिए ओवर द टॉप (ओटीटी) प्रसारण प्लेटफॉर्मों पर ट्राई नियमों और विनियमों की उपयोगिता को चुनौती दी। मामले में, याचिकाकर्ता ने दावा किया कि स्टार इंडिया दूरसंचार (प्रसारण और सेवा) सेवा इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम) विनियम, 2017 के विनियमन 3 (2) का उल्लंघन करता है, जिसके लिए प्रसारकों को वितरकों को गैर-भेदभावपूर्ण तरीके से टेलीविजन चैनलों के सिगनल प्रदान करने की आवश्यकता होती है। याचिकाकर्ताओं ने इस मुद्दे को उठाया, क्योंकि स्टार इंडिया ने शुल्क के भुगतान के माध्यम से अपने स्टार स्पोर्ट्स टेलीविजन चैनल पर सामग्री प्रदान की थी। दूसरी ओर, हॉटस्टार पर दर्शक स्टार स्पोर्ट्स कंटेंट को मुफ्त एक्सेस कर पा रहे थे। याचिकाकर्ता ने आगे दावा किया कि उत्तरदाताओं को दोनों प्लेटफॉर्मों पर सामग्री को सभी तरह के दर्शकों तक एक समान तरीके से पेश किया जाना चाहिए।

टीडीसैट ने पाया कि वर्तमान मामले में प्रतिवादी ‘दो टोपी पहनता है’ जिसका अर्थ है कि स्टार इंडिया एक प्रसारक और ओटीटी प्लेटफॉर्म का मालिक है। यह माना गया कि ‘वितरण प्लेटफॉर्म’ की परिभाषा व्यापक है और इसके दायरे में ओटीटी प्लेटफॉर्म शामिल नहीं हैं। अंत में, टीडीसैट ने माना कि प्रथम दृष्टया, ओटीटी प्लेटफॉर्म ट्राई के अधिकार क्षेत्र और इसलिए ट्राई अधिनियमों, नियमों और विनियमों के अंतर्गत नहीं आते हैं।■